

दि कामक पोर्ट

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 10, अंक : 9

(प्रति बुधवार), इन्दौर, 16 अक्टूबर 2024 से 22 अक्टूबर 2024

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये



सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर हरियाणा और पंजाब को फटकार लगाई

मामले दर्ज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जहां यह कहा कि आयोग का कोई भी सदस्य वायु प्रदूषण से निपटने के लिए योग्य नहीं हैं वहाँ इस बात को लेकर हैरानी भी जताई कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया यहां तक कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभी तक एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सब कुछ महज कागजों पर चल रहा है। पराली जलाने वालों को रोकने में असफल रहने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दे दिया।

नाममात्र का जुर्माना और कुछ नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप तो नाममात्र का जुर्माना ले रहे हैं। हद यह है कि इसरो आपको बता रहा कि आग कहां लगी थी और आप कहते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि कानून उल्लंघन के 191 मामले आए और आपने सिर्फ़ नाममात्र का जुर्माना लिया। एनसीटी क्षेत्र अधिनियम के तहत आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना की गई है। इस पर हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने गलती स्वीकार करते हुए कहा कि मैं अपनी ओर से हुई चूक या गलती को स्वीकार करता हूं। इस पर कोर्ट का कहना था कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है यदि मुख्य सचिव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी हम समन जारी करेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई और कहा कि पंजाब सरकार ने भी पराली जलाने पर रोक के आदेश पर कुछ नहीं किया। विगत 03 सालों में पंजाब ने एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया। नाममात्र का जुर्माना लगा रहे हैं और कुछ नहीं किया गया।

ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए तैयार डोजियर को यूनेस्को ने स्वीकारा



भोपाल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ओरछा के ऐतिहासिक समूह को नामांकित कराने के लिये म.प्र. टूरिज्म बोर्ड द्वारा तैयार कराये गए डोजियर (संकलित दस्तावेज) को केंद्र सरकार ने यूनेस्को की विश्व धरोहर कमेटी को सौंप दिया है। वर्ष 2027-28 के लिये केंद्र द्वारा ओरछा के ऐतिहासिक समूह को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने हेतु अनुशंसा की है। पेरिस स्थित यूनेस्को कार्यालय में भारतीय राजदूत श्री विशाल वी शर्मा ने यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र के निदेशक श्री लाज़रे एलॉन्डॉ असोमो को ओरछा का डोजियर सौंपा है। यूनेस्को की आधिकारिक घोषणा के बाद ओरछा देश की ऐसी एकमात्र विश्व धरोहर स्थली होगी, जो राज्य संरक्षित है।

प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति और प्रबंध संचालक म.प्र. टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों

को संरक्षित करने और पर्यटकों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के सतत प्रयास किये जा रहे हैं। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने यूनेस्को द्वारा डोजियर को स्वीकार किए जाने पर हर्ष जताते हुए कहा कि, यह प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। ओरछा अपनी अद्वितीय स्थापत्य शैली और समृद्ध ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। विश्व धरोहर सूची में नामांकित होने से ओरछा की ऐतिहासिक धरोहरों की वैश्वक पहचान को और मजबूती मिलेगी। साथ ही ओरछा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण केंद्र बनेगा।

उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष केंद्र सरकार देश की एक धरोहर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में नामांकित कराने के लिए यूनेस्को (यूनाइटेड नेशंस

एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल आर्गेनाइजेशन) को अनुशंसा करती है। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में प्रदेश के 14 स्थल शामिल हैं। खजुराहों के मंदिर समूह, भीमबेटका की गुफाएं एवं सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थायी सूची में शामिल हैं। यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में शामिल कराने के लिए क्रमशः वर्ष 2019 एवं 2021 में प्रस्ताव तैयार कराया गया था। जिसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) द्वारा योग्य मानते हुए यूनेस्को के विश्व धरोहर अनुभाग को अग्रेषित किया और फिर टेंटेटिव लिस्ट में सम्मिलित करने की घोषणा की गई थी।

प्रदूषण और घटती संवेदनशीलता- मानवता के लिए खतरे की घंटी

नई दिल्ली। मनुष्य अपने पांच संवेदी अंगों के साथ सिर्फ और सिर्फ अंगूठे की वजह से दूसरे जीवों पर शासन का हक समझ बैठा है। जबकि संवेदी अंगों, उससे जुड़ी सूचना के आदान-प्रदान और उसके उपयोग में हमारी क्षमता एक चींटी जितनी भी नहीं है। बाहरी वातावरण से निकलने वाली संवेदी सूचनाओं (जिसमें सूखना, सुनना और देखना शामिल है) को पहचान पाने के मामले में मनुष्य तुलनात्मक रूप से अन्य जीवों के मुकाबले कमजोर नजर आता है। एक चींटी को खाने के सामान के होने की गंध दूर से ही लग जाती है, मछलियों को समुद्र में दूर उठने वाले सुनामी की खबर होती है, कुत्ते की मनुष्य से 30 गुणी ज्यादा सूखने और उसे स्मरण कर प्रतिक्रिया करने की क्षमता से तो हम सब वाकिफ ही हैं।

वहीं उल्लू चमगादड़ सहित कई जीव बाहरी वातावरण में इस कदर संवेदन (सेंसेशन) क्षमता से मजबूत होते हैं कि इन्हें रोजमर्या के कार्यों के लिए प्रकाश तक की जरूरत नहीं होती। प्रकृति में प्राणियों के बीच सूचना का आदान-प्रदान रोज के कार्यों का महत्वपूर्ण भाग है जो हजारों-लाखों साल में जगह और वातावरण के हिसाब से विकसित हुए हैं। आवाज, दृश्य या गंध के रूप में सूचना का आदान-प्रदान एक जटिल पर प्रभावी तरीका है जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। सूचना बहुत ही खास तरीके के उत्तेजक या प्रेरक के रूप में उत्पन्न होती है और आवाज, दृश्य या गंध के रूप में प्रसारित होकर किसी खास जीव जो लक्ष्य होता है, द्वारा ग्रहण की जाती है। वातावरण में फैलता प्रदूषण जीवों की इसी संवेदी क्रियाओं (सेंसरी एक्शन) के साथ उससे जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों यथा फसल उत्पादन और फूलों के निषेचन आदि को प्रभावित कर रहा है। हर जीवित प्राणी की दिनचर्या एक खास समयबद्ध और नियम अनुसार चलती है, जिसे तकनीकी शब्दावली में सरकेडियन रिदम कहते हैं जो एक जैविक घड़ी की तरह काम करती है। आज हमारी यातायात प्रणालियां, हमारे शहर, आधुनिक कृषि पद्धति, औद्योगिकीकरण आदि से जीवों का प्राकृतिक अधिवास कम हो रहे हैं। शहरों की रोशनी की चकाचौंध जो रात में चंद्रमा और सितारों के नैसर्गिक रोशनी की असफल नकल करती है या फिर उन्हें ढंक दे रही है। इससे जानवरों और पक्षियों के न सिर्फ सोने-जागने के समय पर प्रभाव पड़ा है, बल्कि ठीक से सोने की क्षमता भी घटी है, यानी उनकी पूरी दिनचर्या या सरकेडियन रिदम या शरीर के नैसर्गिक रूप से काम करने में सहायक जैविक घड़ी का तारतम्य बिगड़ता जा रहा है। जंगलों में मानवीय घुसपैठ ने बेजा आवाज, प्रकाश आदि पैदा कर जानवरों के सोने-जागने के साथ उनके जीवनयापन के लिए महत्वपूर्ण शिकार करने की क्षमता, पर नकारात्मक रूप से असर डाला है। बड़े-बड़े गगनचुंबी घरों और उन पर लगे शीशों की दीवार ने पंछियों के उड़ने के रास्ते में खलल डालने के साथ-साथ उन्हें भ्रम में भी डाल रखा है। शहरों में इमारतों से टकरा कर पक्षियों के मरने की घटनाएं आम हो चली हैं। यहां तक कि लम्बी दूरी के प्रवासी पंछी भी रास्ते के निर्माण कार्य, शहरों की चकाचौंध भरी रोशनी, हाईवे की कानफोड़ आवाज आदि से अपना रास्ता



भटक जाते हैं। दूसरी तरफ विभिन्न उद्योगों और खेती से निकलने वाले रासायनिक गैसें और वायु-प्रदूषण पेड़-पौधों की अति-संवेदनशील प्रक्रिया परागण और निषेचन पर असर डालने लगे हैं। विभिन्न मानव जनित प्रक्रिया जिसमें वायु-प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, खेती-बड़ी में इस्तेमाल होने वाला कीटनाशक और खाद आदि शामिल हैं, फूलों से निकलने वाली गंध से मिलकर उसकी कीट पतंगों को आकर्षित करने की क्षमता काफी घटा देती है। यहां तक ये रसायन कीट पतंगों के प्रजनन को भी प्रभावित करते हैं।

नतीजा, गंध की तीव्रता तो कम होती ही है और कीट पतंगों की सूखने की क्षमता भी घट जाती है। इस प्रकार संवेदी प्रदूषण की दोहरी मार परागण और निषेचन में कमी के फलस्वरूप फसल, फल-फूल का उत्पादन प्रभावित करता है। साथ ही साथ सूखने वाले अंग की क्रियाशीलता में कमी के कारण जानवरों की प्रजनन, व्यवहार और अन्य जानवरों के साथ तारतम्य सहित तमाम जीवन-यापन की प्रक्रियाएं नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही हैं। आने वाले भूकंप, सुनामी या आंधी-तूफान का पूर्वानुमान होने पर गली-मोहल्ले में कुत्ते रोने लगते थे, लेकिन आजकल जानवरों के इस व्यवहार में भी बदलाव देखा जा सकता है। यहां तक कि कीटनाशकों के अधिक प्रयोग का असर को चींटियों के सामाजिक जीवन और तितलियों के व्यवहार में हो रहे परिवर्तन से जोड़ के देखा जा सकता है। हाल के एक शोध में पाया गया है कि धरती की सतह वाली ओजोन और नाइट्रो रेडिकल्स जैसे सामान्य वायु प्रदूषक, मॉथ के द्वारा होने वाली परागण की क्षमता को काफी हद तक कम कर देता है, जिसमें ओजोन के मुकाबले नाइट्रो रेडिकल्स को ज्यादा प्रभावी पाया गया। इन प्रदूषकों ने सुगंध के लिए जिम्मेदार रासायनिक अणुओं से प्रतिक्रिया कर उनकी संख्या और प्रभाव दोनों घटा देती है, जिसके कारण न सिर्फ सुगंध का प्रसार दूर तक नहीं हो पाता हो बल्कि आसपास के बहुत कम मॉथ को ही फूल आकर्षित कर पाता है। इससे कीट पतंगों के फूलों तक आने की आवृत्ति घटती है। सुगंध के रसायन में ही वायु-प्रदूषण के कारण में हुए बदलाव से न सिर्फ निषेचन कम हुआ बल्कि फूल और पौधे का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। इस विषय पर एक और शोध के मुताबिक, शहरी क्षेत्र में लगातार वायु प्रदूषण के कारण कीट पतंगों द्वारा फूलों की महक को महसूस करने की प्रभावी दूरी और क्षमता घटी है। अब ये कीट अपनी क्षमता से इतर थोड़ी सी भी ज्यादा दूरी होने से फूलों की महक को महसूस नहीं कर पाते हैं। लगातार बढ़ते शोरगुल और ध्वनि से मनुष्य सहित तमाम जीवों के दिमाग और शरीर के आंतरिक और बाह्य नियंत्रण प्रणाली प्रभावित होती है। मौजूदा समय में हजारों की संख्या में होने वाले ऑयल डिल्स, समुद्री यातायात, व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाले जलयान की वजह से जमीन के मुकाबले शांत समुद्र में गैर जरूरी शोरगुल का स्तर प्रभावी रूप से बढ़ा है। समुद्र में, खास कर गहरे समुद्र में प्रकाश के अभाव में समुद्री जीवन में सूचना प्रणाली मुख्य रूप से ध्वनि आधारित ही विकसित हुई है। समुद्र में बढ़ती आवाज ने जलीय जीवों की आपसी संचार प्रणाली, जो कम स्तर के खास किस्म की आवाज पर आधारित होती है, को असंतुलित करने लगा है। सबसे अधिक असर गहरे समुद्री बड़े जीव जिसमें हेल, डॉल्फिन, शार्क आदि शामिल हैं, के खानपान की आदतों, प्रजनन और माइग्रेशन के तरीके में बदलाव देखा गया है। हाल के एक अध्ययन के मुताबिक, केवल समुद्री यातायात के कारण विश्व की सबसे बड़ी परभक्षी हेल की संख्या में एक-चौथाई तक की कमी आई है।

गैसलाइट से लेकर विद्युतीकरण तक- कृत्रिम प्रकाश की यात्रा

हमारे अतीत के अधिकांश कालखंड में कृत्रिम प्रकाश ने रात के अंधेरे में खलल नहीं डाला। वर्ल्ड एट नाइट रिपोर्ट के अनुसार, 17वीं शताब्दी से पहले स्ट्रीट लाइट का अस्तित्व नहीं था। इंपीरियल रोमन और यहां तक कि पुनर्जागरण फ्लोरेंस में भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं थी। उच्च चित्रकार रेम्ब्रांट की प्रसिद्ध पेंटिंग में दिखाया गया है कि अंधेरे में कानून-व्यवस्था रात में पहरे द्वारा सुनिश्चित की जाती थी। घर के बाहर रोशनी की व्यवस्था मुश्किल से 200 साल से कुछ अधिक पुरानी है। पहली बाहरी रोशनी 1600 के दशक में तब हुई, जब सुरक्षा और व्यापारिक कारणों से कुछ यूरोपीय और अमेरिकी शहरों में घर के मालिकों को खिड़कियों पर एक तेल का दीपक या मोमबत्ती रखने की आवश्यकता पड़ी। इसने शाम को सामाजिक संपर्क का एक नया युग शुरू किया। इसका नतीजा यह निकला कि प्रकाश की तीव्र इच्छा प्रबल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, तेल के लैंप केवल सीमित रोशनी प्रदान करते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटेन और अमेरिका में गैसलाइट की शुरुआत से दृश्य बदल गया। 2017 में एथिक्स, पॉलिसी एंड एनवायरमेंट जर्नल में प्रकाशित टेलर स्टोन के अध्ययन लाइट पॉल्यूशन-ए केस स्टडी इन एनवायरमेंट प्रॉब्लम में मानते हैं कि गैसलाइट को अपनाने और उसके प्रसार के साथ ही रात में आधुनिक शहर की धारणा उभरने लगी और रातें निश्चित रूप से अधिक रोशन होने लगीं। गैसलाइट का पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन 1807 में लंदन में किया गया था और अगले कुछ दशकों में इसे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में तेजी से अपनाया गया। वर्ल्ड एट नाइट रिपोर्ट की मानें तो 1870 के दशक तक विद्युतीकरण शुरू हो गया था और सार्वजनिक स्थानों पर कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था आर्क लैंप के जरिए हुई। यह लैंप, गैसलाइट की तुलना में कम लागत पर तेज सफेद रोशनी पैदा करते थे। सड़कों पर इनके लगने और वाहनों के चलने से चकाचौंध की समस्या पैदा होने लगी। प्रदूषण के रूप में प्रकाश व्यवस्था पर चिंता 19वीं सदी के अंत से शुरू हुई, लेकिन 1970 के दशक में पर्यावरण आंदोलन और तेल संकट के महेनजर यह व्यापक हो गई। 2000 के बाद से प्रकाश व्यवस्था के मुद्दे रात में रोशनी के बेतहाशा बढ़ने के साथ फिर सुलगने लगे। स्लोवेनिया द्वारा 2007 में प्रकाश प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला राष्ट्रीय कानून बनाने के बाद इस मुद्दे पर बहस ने जोर पकड़ा। अब दुनिया में प्रकाश प्रदूषण को पर्यावरण के प्रति गंभीर चिंता के रूप में देखा जाने लगा है। इसे नियंत्रित करने के लिए दुनिया के कई देशों में कानूनी पहल होने लगी है।



2030 में आठ करोड़ टन सालाना पैदा होगा इलेक्ट्रॉनिक कचरा

अंतर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई-कचरा उन सभी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके हिस्सों से आता है जिन्हें बिना उपयोग के कचरे में फेंक दिया जाता है। ई-कचरे में फेंके गए कंप्यूटर मॉनिटर, मदरबोर्ड, मोबाइल फोन और चार्जर, सीडी, हेडफोन, टेलीविजन सेट, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर और प्लग, केबल या बैटरी, यूएसबी, कार्ड रीडर, गेम कंसोल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसी कई चीजें शामिल हैं।

साल 2024 की थीम - ई-कचरे की खोज अभियान में शामिल हों - दोबारा हासिल करें, रीसायकल करें और दोबारा उपयोग करें ई-कचरा प्रबंधन के जरिए, हर कोई प्रदूषण में कमी, संसाधन संरक्षण और ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ२) के उत्सर्जन पर लगाम लगा सकता है। जब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सही तरीके से निपटान नहीं किया जाता है, तो वे अक्सर लैंडफिल में जाकर मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में सीसा, पारा, कैडमियम और ज्वलनशील जैसे विभिन्न खतरनाक पदार्थ होते हैं, जो मिट्टी और जल स्रोतों में घुल सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषित कर सकते हैं और लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरे पैदा कर सकते हैं। पारा इंसान के मस्तिष्क को भारी नुकसान पहुंचाता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में दुनिया भर में प्रति व्यक्ति आठ किलोग्राम ई-कचरा पैदा हुआ। इसका मतलब है कि एक साल के भीतर 6.13 करोड़ टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा फेंका गया, जो चीन की सबसे बड़ी दीवार के बजन से भी अधिक है। इस कचरे का केवल 17.4 प्रतिशत, जिसमें हानिकारक पदार्थ और कीमती सामग्री का मिश्रण है, दुनिया भर में ठीक से एकत्र, उपचारित और पुनर्चक्रित किए जाने के रूप में दर्ज किया जाता है। शेष 5.06 करोड़ टन को या तो लैंडफिल में डाल दिया जाता है, या जला दिया जाता है, या इसका अवैध रूप से व्यापार किया जाता है। यहां तक कि यूरोप में, जो ई-कचरा रीसाइकिलिंग में दुनिया में सबसे आगे है, केवल 54 प्रतिशत ई-कचरा आधिकारिक तौर पर एकत्र और रीसायकल होने की रिपोर्ट है। सार्वजनिक जागरूकता की कमी देशों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सर्कुलर अर्थव्यवस्था विकसित करने से रोक रही है। ई-कचरे में सोना, चांदी और तांबा जैसे मूल्यवान और दुर्लभ तत्व भी होते हैं, जिन्हें क्रिटिकल रॉ मटेरियल कहा जाता है, जो पर्यावरण के हिसाब से अनुकूल और नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब ई-कचरे को ठीक से रिसाइकिल नहीं किया जाता है, तो ये मूल्यवान सामग्री बेकार हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, ई-कचरा दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले ठोस कचरे में से एक है। साल 2022 में दुनिया भर में लगभग 6.2 करोड़ टन ई-कचरा उत्पादित किया गया। केवल 22.3 फीसदी को औपचारिक रूप से एकत्र और रीसायकल किया गया था। सीसा एक सामान्य पदार्थ है जो पर्यावरण में तब निकलता है जब ई-कचरे को खुले में जलाने सहित सही तरीके से रीसायकल नहीं किया जाता है, सही तरह से एकत्रित या डंप नहीं किया जाता है। सही तरीके से ई-कचरे का रीसायकल न होने पर इसके स्वास्थ्य पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। बच्चे और गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से इसके कारण असुरक्षित हैं। आईएलओ और डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि दुनिया भर में सही तरीके से रीसायकल न करने से क्षेत्र में काम करने वाली लाखों महिलाएं और बाल मजदूर खतरनाक ई-कचरे के संपर्क के खतरे में हैं। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च (यूनिटर) की मानें तो 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक कचरे में 32 फीसदी की बढ़ोत्तरी होकर 8.2 करोड़ टन होने के आसार हैं। अंतर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस सबसे पहले 2018 में मनाया गया था, जब इस कार्यक्रम की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपशिष्ट (डब्ल्यूईईई) फोरम द्वारा की गई थी। इस दिन को शुरू करने का उद्देश्य ई-कचरे को कम करने और रीसायकल करने के बारे में लोगों में जागरूकता और समझ बढ़ाना था, जिससे लोगों और कंपनियों को पर्यावरण की रक्षा के लिए और अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। डब्ल्यूईईई फोरम एक अंतरराष्ट्रीय संघ है जो दर्जनों विभिन्न ई-कचरा एकत्र करने वाली योजनाओं से बना है जो दुनिया भर के कम से कम 20 अलग-अलग देशों में एक साथ काम कर रहे हैं।

विश्व में मीथेन उत्सर्जन करने में अमेरिका सबसे आगे

न्यूयार्क। आगामी पांच नवम्बर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है और इसके पहले इस चुनाव में लड़ रहे उम्मीदवार हर हालात में यह दावा करते नहीं थक रहे हैं कि हम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करके रहेंगे। लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। क्योंकि एक नए शोध से पता चला है कि अमेरिका में मीथेन उत्सर्जन में लगातार वृद्धि जारी है। यह जलवायु पर खतरे का सबसे बड़े खतरे का संकेत कहा जा सकता है।

न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका वायुमंडल में इस शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस को अधिक से अधिक मात्रा में छोड़ रहा है, जबकि दूसरी ओर उसने उत्सर्जन में कटौती करने का लगातार वादा किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका के नेतृत्व में अन्य देशों को वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन में कटौती करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयासों के बावजूद, अमेरिका का तेजी से बढ़ता जीवाश्म ईंधन उद्योग वायुमंडल में अधिक से अधिक पृथ्वी ग्रह को गर्म करने वाली मीथेन उत्सर्जित करना जारी रखा है। मीथेन सबसे शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों में से एक है और इस अध्ययन में यह बात निकलकर आई है कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक अमेरिका है। ध्यान रहे कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया के अधिकांश प्रयास कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित हैं, जो मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होते हैं और जिनके गर्मी को बढ़ाने वाले कण सैकड़ों वर्षों तक वायुमंडल में रह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के विपरीत, मीथेन उत्सर्जन खपत से नहीं बल्कि गैस के उत्पादन व परिवहन से होता है। यह आमतौर पर प्राकृतिक गैस के रूप में जानी जाने वाली गैस

का मुख्य घटक है। मीथेन भंडारण सुविधाओं, पाइपलाइनों और टैंकरों से लीक हो सकती है और अक्सर जानबूझकर छोड़ भी जाता है। मीथेन पशुधन और लैंडफिल से भी निकलता है। साथ ही आर्द्रभूमि में स्वाभाविक रूप से होता है। न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कैरोस ने अपने अध्ययन में जीवाश्म ईंधन पर ध्यान केंद्रित किया है, जहां बड़ी मात्रा में मीथेन को जानबूझकर छोड़ने और फ्लेरिंग यानी इसे जानबूझकर जलाए जाने की प्रथाएं आम हैं। वायुमंडल में मीथेन की सांद्रता अब पूर्व-औद्योगिक स्तरों से ढाई गुना अधिक है और दुनिया के आधे से अधिक मीथेन उत्सर्जन मानव निर्मित है। वायुमंडल में इसकी मौजूदगी लगभग 12 वर्षों में समाप्त हो जाती है, जो कि अपेक्षाकृत कम समय है, लेकिन कई अध्ययनों से पता चलता है कि इसका ऊष्मा-अवरोधन प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक मजबूत है। इसका मतलब है कि जलवायु के लिए इसके और भी तात्कालिक परिणाम हो सकते हैं। 2021 में अमेरिका

वैश्विक मीथेन शपथ के पहले हस्ताक्षरकर्ताओं और प्रवर्तकों में से एक था, जिसने एक दशक के भीतर वैश्विक स्तर पर मानव निर्मित मीथेन उत्सर्जन को 2020 के स्तर से 30 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा था। इस शपथ पर 158 देशों ने हस्ताक्षर किया था। हाफ ने कहा कि 2030 तेजी से नजदीक आ रहा है और उत्सर्जन अभी भी भारी मात्रा में जारी हो रहा है। ऐसा बड़े हिस्से में इसलिए लगता है क्योंकि अमेरिका और अन्य जगहों पर तेल और गैस का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन के हस्ताक्षर जलवायु कानून, मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम में मीथेन उत्सर्जन-कमी रणनीतियों के लिए अरबों डॉलर का वित्तपोषण एजेंसी के अनुसार इस नियम के परिणामस्वरूप 28 मिलियन गैसोलीन कारों से होने वाले वार्षिक उत्सर्जन से अधिक का उन्मूलन हो सकता है और नियम के बिना अपेक्षित भविष्य के मीथेन उत्सर्जन में लगभग 80 प्रतिशत की कमी संभव है। अमेरिकी जीवाश्म ईंधन क्षेत्र आज पिछले वर्षों की तुलना

में प्रति यूनिट ऊर्जा में कम मीथेन उत्सर्जित करता है। हालांकि, उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई है कि कुल मिलाकर मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। अमेरिका अब तक दुनिया का अग्रणी गैस उत्पादक और निर्यातक रहा है। चीन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है और उसने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं। अमेरिकी जलवायु दूत जॉन पोडेस्टा हाल ही में चीन के शीर्ष जलवायु वार्ताकारों से मिलने के लिए बीजिंग गए थे और दोनों देशों ने नवंबर में अजरबैजान में इस साल के मुख्य जलवायु शिखर सम्मेलन के साथ-साथ मीथेन पर एक शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी करने पर सहमति जताई है, जिससे उम्मीद जगी कि चीन इस साल इस शपथ पर हस्ताक्षर कर सकता है। जर्मन ग्रीन पार्टी से यूरोपीय संघ की संसद के सदस्य जुटा पॉलस ने कहा कि यह दर्शाता है कि शपथ का प्रभाव है। उन्होंने यह भी कहा कि कई समाधान पहुंच के भीतर हैं। यूरोपीय संघ ने इस गर्मी में एक प्रस्ताव पेश किया

है जो अपने सभी सदस्य देशों को अपने मीथेन उत्सर्जन का अध्ययन करने और उन्हें कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा है। यूरोपीय संघ 2029 से अपने आयातों पर उत्सर्जन पर समान रूप से कठोर सीमाएं लागू करेगा, जिसमें अल्जीरिया जैसे उन देशों की गैस भी शामिल है जिन्होंने शपथ पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ध्यान रहे कि 2030 से यूरोपीय संघ एक निश्चित उत्सर्जन सीमा से ऊपर के आयातों पर जुर्माना लगाना शुरू कर देगा। अध्ययन में ऑस्ट्रेलिया और तुर्कमेनिस्तान ही दो ऐसे देश थे, जिन्होंने मीथेन उत्सर्जन में बड़ी कमी देखी। हाफ ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की सफलता संभवतः कोयला उत्पादन के दौरान गैस के जानबूझकर उत्सर्जन को सीमित करने के उद्देश्य से अपनाई गई नीतियों के कारण है। वहीं तुर्कमेनिस्तान (जो कई मामलों में दशकों पुराने सोवियत गैस बुनियादी ढांचे का संचालन करता है) ने अपनी सुविधाओं को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ईज ऑफ लिविंग' के लिये प्रदेश को नई सौगात

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया डिजिटल इंडिया मिशन अब कल्पवृक्ष की तरह आमजन की हर जरूरत पूरी कर रहा है। जीरो बैलेंस खाता, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ई-रजिस्ट्री जैसे नवाचार ने सभी का जीवन सरल और सुगम बनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में नवीन तकनीक पर आधारित संपदा-2.0 का नवाचार ऑनलाइन दस्तावेज पंजीयन में डिजिटल क्रांति का माइलस्टोन बनेगा। इस नवाचार को पूरा देश फॉलो करेगा। पहले प्रदेश में दस्तावेज पंजीयन और अन्य कार्यों के लिए कार्यालय आना पड़ता था लेकिन पोर्टल और ऐप के माध्यम से सभी लोग घर से ही इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ई-रजिस्ट्री और ई-पंजीयन के नवीन प्रणाली पर विकसित संपदा-2.0 पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश को 2 नए महत्वपूर्ण कार्य सौंपे हैं। इसमें 120 शहरों के जीआईएस कार्य को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से आईटी विभाग द्वारा पूरा किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में जीआईएस लैब स्थापित करने जा रहे हैं। इसका लाभ प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आईटी के क्षेत्र में मध्यप्रदेश बहुत उत्तमि कर रहा है। आईटी में नवाचार के साथ मध्यप्रदेश सरकार पेपरलेस सिस्टम की दिशा में कदम बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संपदा-2.0 की खूबियां बताते हुए कहा कि संपदा-2.0 उत्तम तकनीक पर आधारित सॉफ्टवेयर है। इसमें राजस्व वित्त विभाग और नगरीय प्रशासन के साथ जीएसटी और युनिक आईडी आधार से भी इंटीग्रेटेड किया गया है। जमीन की कलेक्टर गाइडलाइन दर ऐप में लोकेशन के माध्यम से मालूम हो सकेगी। सॉफ्टवेयर से संपत्ति की जीआईसी मैटिंग होगी, बायोमैट्रिक पहचान और दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग भी होगी। दस्तावेजों के पंजीयन के लिए व्यक्तिगत मौजूदगी की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ही दस्तावेज सत्यापन और पंजीकरण हो सकेगा। दस्तावेज की सॉफ्ट कॉर्पो व्हाट्सएप और ईमेल से आवेदक को प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशानुरूप ईज ऑफ लिविंग को दृष्टिगत रखते हुए लागू की जा रही है। इससे पंजीयन की व्यवस्था सुगम, सरल और करप्तान-फी बनेगी।

